BRRDA CHB/-396/2021-1109 अ०उ० दिनांक -28/04/2023

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण
तृतीय तल, भूमि विकास बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सरकार का एक सोसाइटी है। विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों के स्थानीय/क्षेत्रीय भ्रमण हेतु भाड़े पर चालक सहित वाहनों की आवश्यकता होती है। वाहन की सेवा प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता को सूचीबद्ध करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण कार्यालय, बैरक नं0–3, हज भवन के समीप, हार्डिग रोड, पटना में दिनांक–12.05.2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त कोटेशन दिनांक–12.05.2023 को अपराह्न 3.30 बजे खोला जायेगा।

कोटेशनदाता द्वारा वाहनों का दर निम्न प्रारूप के अनुसार उद्धृत किया जायेगा :–

S.I	Vehicle Type	Monthly Rate of Vehicle			Daily Rate of Vehicle			
		Without Fuel	With Fuel					
			Rate of Vehicle With fuel Up to 1000KM	Charges Per KM Beyond 1000KM	For 8 Hours up to Maximum 80 K.M	Beyond 8 Hours and upto 80 KM Extra Rate Per Hours	After 80 KM Extra Rate Per KM	Per Night Halt Charges
1	Innova Crysta/Fortuner/Safari/XUV500							
2	Scorpio/Hundl Creta/ Tata Harrier							
3	Bolero/ Swift Desire/ Tata Nexon/ Etios/XUV 300/Breeza							

<u>कोटेशनदाता द्वारा निम्न न्यूनतम अर्हता पूरा करना अनिवार्य है:–</u>

(i) GST निबंधन प्रमाण पत्र।
(ii) पैन कार्ड।
(iii) विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न।
(iv) विगत 3 वर्षों में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवन 15 लाख से अधिक होना चाहिए।
(v) सरकारी कार्यालयों/विभागों/सोसायटी में विगत 3 वर्षों में 5 एवं 5 से अधिक वाहन उपलब्ध कराने का कार्यादेश।
(vi) सरकार के किसी विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/सोसाटी द्वारा Black listed नहीं होना चाहिए।

सेवा शर्ते निम्नवत् होगी:–

1. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण द्वारा सूचीबद्ध सेवा प्रदाता से आवश्यकतानुसार निर्धारित दर एवं शर्तों पर वाहनों की मासिक सेवा अथवा दैनिक सेवा ली जाएगी। ब्राडा द्वारा इस आशय का कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
2. कार्यादेश निर्गत होने के 2 दिनों के अंदर वाहन उपलब्ध करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवा प्रदाता को De Empanal किया जा सकता है।

3. कोटेशन में अंकित दर सभी कर सहित शब्दों एवं अंकों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार विभाग द्वारा आयकर एवं GST की राशि विपत्र से कटौती कर आयकर विभाग में जमा किया जायेगा।
4. निविदा के समय निविदा दाता द्वारा अग्रधन के रूप में ₹ 1,00,000/- लाख का Fixed Deposit जो ACEO-cum-Secretary, BRRDA के पक्ष में Pledge हो जमा कराना अनिवार्य होगा। चयनित सेवा प्रदाता द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि को सुरक्षा जमा के रूप में रख लिया जाएगा। सेवा शर्त की उलंघन की स्थिति में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. उपलब्ध करायी जाने वाली वाहन का निबंधन, वाहन बीमा, प्रदूषण एवं अन्य संबंधित प्रपत्र अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन अधिकतम 20,000 कि0मी0 चली हुई एवं 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
7. वाहन व्यवसायिक श्रेणी में निबंधित होनी चाहिए।
8. वाहन सेवा प्रदाता संस्था को वाहन के साथ वाहन चालक की सेवा उपलब्ध करानी होगी।
9. वाहन चालक के पास वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है एवं वाहन चालक अनुभवी, व्यवहार कुशल एवं अनुशासित होना चाहिए।
10. वाहन के खराब होने की स्थिति में मरम्मति का कार्य एवं उससे संबंधित व्यय सेवा प्रदाता को वहन करना होगा एवं खराब वाहन के स्थान पर तत्काल उसी मॉडल या समकक्ष मॉडल का दूसरा वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
11. वाहन के उपयोग कर्त्ता पदाधिकारी के निदेशानुसार वाहन का परिचालन सुनिश्चित करना होगा।
12. वाहन के रख–रखाव, रात्रि पार्किंग एवं वाहन के सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी कोटेशनदाता की होगी।
13. ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराने अथवा संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करनें की स्थिति में सेवा प्रदाता को De Empanal करने तथा Black listed करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
14. यह दर Empanalment तिथि से अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगा।
15. कोटेशन आमंत्रण सूचना के किसी भी शर्त में संशोधन या रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
16. कोटेशन आमंत्रण सूचना विभागीय वेवसाईट www.rwdbihar.in पर भी देखा जा सकता है।
17. अन्य किसी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा